उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग
संख्या-426/आई/189218/41-1099/325/2019-02(सा0)/2019
लखनऊ: दिनांक 13 जुलाई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

पर्यटन विभाग में क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/प्रचार अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा दिनांक 14.10.2019 को सम्पन्न साक्षात्कार में 02 अन्य अभ्यर्थियों के साथ श्री कुलप्रकाश सिद्धार्थ पुत्र श्री मंशा राम जाटव, मकान नं0-945, मो0- हरिपुरा, थाना- कोतवाली जालौन, जनपद-जालौन के चयन के उपरान्त लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र सं0-262/04/डी0आर0/एस0-9/2016-17, दिनांक 16.11.2019 द्वारा चयनित अभ्यर्थियो का नियुक्ति पत्र निर्गत करने की संस्तुति शासन में प्राप्त हुयी। उक्त संस्तुति में यह उल्लेख किया गया है कि श्री कुलप्रकाश सिद्धार्थ (रजि0/अनु0-53100411029) के पूर्व नियोक्ता द्वारानिर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त नियुक्ति पत्र निर्गत करने की कार्यवाही की जायेगी।

2- प्रकरण में शासन के पद्ध सं0- 4082/41-2019-2सा/2012, दिनांक 24.12.2019 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 से अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की आख्या शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी, पृष्ठांकन में श्री कुलप्रकाश सिद्धार्थ को यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि वह महानिदेश, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 से व्यक्तिगत सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण आख्या शासन को उपलब्ध कराये, परन्तु श्री कुलप्रकाश सिद्धार्थ द्वारा न तो स्वास्थ्य परीक्षण आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी और न ही इस सम्बन्ध में शासन से किसी प्रकार का पत्राचार किया गया। पर्याप्त अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात शासन के पत्र सं0-आई/146574/41-1099/325/2019-02(सा0)/2019, दिनांक 11.03.2022 द्वारा उपर्युक्तानुसार स्थिति स्पष्ट करने/आख्या/अपेक्षितअभिलेख शासन को उपलब्ध कराने हेतु सिद्धार्थ को अनुस्मरण कराया गया । उक्त के क्रम मे श्री कुलप्रकाश सिद्धार्थ के पत्र दिनांक 24.03.2022 द्वारा यह अवगत कराया गया कि वे क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/प्रचार अधिकारी के पद को ज्वाइन करने की पूर्ण इच्छा रखते हैं तथा ज्वाइनिंग हेतु कम से कम 03 माह का समय और प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रकरण में शासन के पत्र सं0-आई/152571/41-1099/325/2019-02(सा0)/2019, दिनांक 01.04.2022 द्वारा वांछित आख्य/अभिलेख 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराने हेतु श्री कुलप्रकाश सिद्धार्थ को पुन: अनुस्मरण कराया गया, परन्तु इस सम्बन्ध में श्री सिद्धार्थ द्वारा कोई अभिलेख/सूचना उपलब्ध नही करायी गयी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री कुलप्रकाश सिद्धार्थ क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/प्रचार अधिकारी के पद पर कार्य करने के इच्छुक नही हैं।

3- उल्लेखनीय है कि लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वाराआयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति प्रदान करने हेतु कार्मिक अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप सं0-28/5/80-का-4-1999, दिनांक 15.11.1999 के प्रस्तर-2(3) में कार्यालय- ज्ञाप सं0-5/2022/16/आयोग/1/4/2011-का-4-2022, दिनांक 31.03.2022 द्वारा संशोधन करते हुए प्रस्तर-2(1) में यह व्यवस्था की गयी है कि ''सम्बन्धित विभाग द्वारा संस्तुतियाँ /आवटन प्राप्त होने के 03 माह के अन्दर नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित किया जाए।''

4- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/प्रचार अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा दिनांक 14.10.2019 को सम्पन्न साक्षात्कार में श्री कुलप्रकाश सिद्धार्थ पुत्र श्री मंशाराम पाटव, मकान नं0 945 मो0 हरिपुरा, थाना-कोतवाली जालौन, जनपद – जालौन के चयन के उपरान्त लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र दिनांक 16.11.2019 द्वारा शासन में प्राप्त संस्तुति के उपरान्त श्री सिद्धार्थ द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण न कराने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के फलस्वरूप श्री कुलप्रकाश सिद्धार्थ का नियुक्ति पत्र जारी नही किया जा सका है। उक्त के दृष्टिगत कार्मिक विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 28/05/80-का-4-1999, दिनांक 15-11-1999 एवं कार्यालय-ज्ञाप सं0-5/2022/16/ आयोग/ /1/4/2011-का-4-2022, दिनांक 31.03.2022 के आलोक में श्री सिद्धार्थ के अभ्यर्थन निरस्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नही रह जाता है।

5- अत: लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा सम्पन्न साक्षात्कार के आधार पर क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/प्रचार अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री कुलप्रकाश सिद्धार्थ का सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/प्रचार अधिकारी के पद का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के उपरान्त शासन द्वारा कोई सूचना प्रकाशित नही की जायेगी तथा इस आदेश के निर्गतोपरान्त श्री सिद्धार्थ द्वारा उक्त अभ्यर्थन के सम्बन्ध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नही होगा।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव,

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज
4. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक निदेशक कार्मिक पर्यटन निदेशालय लखनऊ
5. वित्त नियंत्रक,पर्यटन निदेशालय, लखनऊ
6. अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, उ0प्र0 प्रयागराज
7. श्री कुलप्रकाश सिद्धार्थ पुत्र श्री मंशाराम जाटव को उनके द्वारा प्रमाणीकरण प्रपत्र में उल्लिखित स्थायी पता-मकान नं0 945- मो0 हरिपुरा थाना कोतवाली जालौन जनपद जालौन पर पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित।
8. गार्ड-फाइल

आज्ञा से

श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।